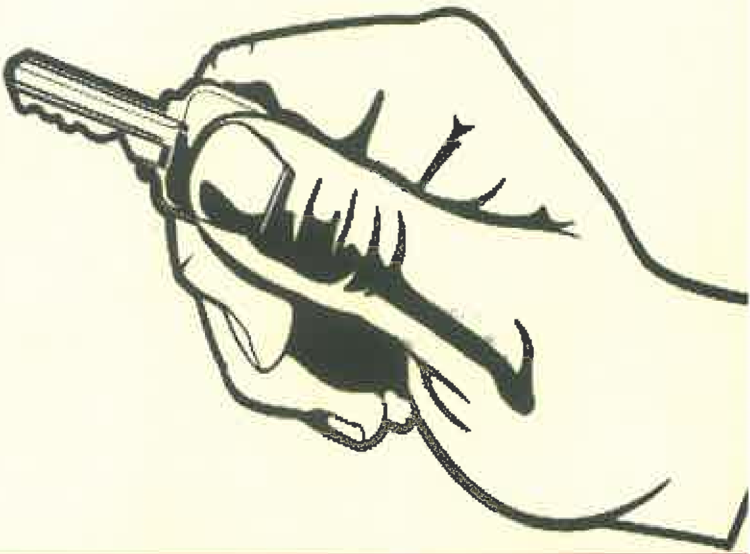

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक कैसे पहुंचें ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक कैसे पहुंचें ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक कैसे पहुंचें?

अप्रैल 2013

© सोसियो लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर*

डिजाइन

महेन्द्र बोरा

प्रकाशक

HRLN

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क

(सोसियो लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर का प्रभाग)

576, मस्जिद रोड, नई दिल्ली - 110014

फोन: +91-11-24379855/56

ई-मेल: hrc@hrln.org वेबसाइट: www.hrln.org

मुद्रक

कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

शकरपुर, दिल्ली-110092

kpgdelhi@yahoo.com

सहयोग

यूरोपियन यूनियन डैन चर्च एड

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है?

मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए) पारित किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए) के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गयी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका गठन मानवाधिकार हनन के मामलों को देखने के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में क्यों जाएं?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकारों के संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में किया गया है और इस तरह आयोग को मानवाधिकारों के हनन संबंधी घटनाओं अथवा मामलों की वास्तविकता जानने का अधिकार प्राप्त है। आयोग को मानवाधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और तद्नुरूप सुधार के उपायों की संस्तुति का अधिकार प्राप्त है।

शिकायत कौन कर सकता है?

है। शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं की जा सकती है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

1. शिकायत सादे कागज में लिखकर आयोग के कार्यालय में जमा की जा सकती है। यह अंग्रेजी या हिन्दी अथवा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में हो सकती है।

2. शिकायत डाक द्वारा अथवा फैक्स द्वारा +91-11-23382911, +91-11-23382734 नम्बरों पर भेजी जा सकती है, या इस ई-मेल covdnhrc@nic.in के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। सामान्य जानकारियां और शिकायत की स्थिति आदि जानने के लिए शिकायतकर्ता +91-11-23385368 अथवा मोबाइल नंबर +91-9810298900 पर भी बात कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत के लिए पंजीकरण फार्म निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

   http://164.100.51.57/HRComplaint/pub/NewHRComplaint.aspx

   (ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण फार्म का स्वरूप अथवा नमूना अनुच्छेद-2 में उदाहरण के साथ दिखाया गया है।)

3. शिकायत में सभी सूचनाएं जैसे-पीड़ित/पीड़ितों के नाम, उम्र, लिंग, धर्म/जाति तथा विवरण जैसे घटना की तिथि, मानवाधिकार हनन की प्रकृति, न्यायाधिकार की सीमा में आने वाला पुलिस थाना, गांव/मोहल्ला, जिला आदि तथा शिकायतकर्ता का संपर्क विवरण शिकायत में सम्मिलित होने

5. शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति/प्रगति इस लिंक पर देख सकते हैं:– http://nhrc.nic.in/advSrcCases.asp

(शिकायत की ऑनलाइन स्थिति का प्रारूप अनुच्छेद 4 में प्रदर्शित किया गया है।)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) कहां स्थित है?

यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका पता है:–

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के क्या अधिकार हैं?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस सिविल अदालत के समान अधिकार प्राप्त हैं जो नागरिक कानून विषयक कार्य पद्धति की संहिता 1908 के अंतर्गत वाद/मुकदमे की सुनवाई करती है। आयोग संबंधित पक्षों को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश भेज सकता है और गवाहों की उपस्थिति तथा कोई भी सार्वजनिक आंकड़े/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दबाव बना सकता है।

- मानवाधिकारों के उल्लंघन अथवा इस हेतु उकसाने वाली किसी कार्यवाही अथवा किसी सरकारी कर्मी/अधिकारी द्वारा ऐसे किसी उल्लंघन पर बचाव करने में लापरवाही

मामले में दखल देने का अधिकार है, चाहे वह मामला अदालत में लंबित ही क्यों न हो। ऐसा संबंधित अदालत की अनुमति लेकर किया जा सकता है।

- आयोग को किसी भी जेल परिसर, अथवा राज्य के अंतर्गत, या सरकार के नियंत्रण वाले किसी भी संस्थान का दौरा करने का अधिकार है, जहां लोगों को बंद किया गया हो अथवा उपचार, सुधार या सुरक्षा तथा उनके हालात की जांच के उद्देश्य से रखा गया हो। आयोग को तद्नुरूप सरकार को प्रभावी कार्यवाही के लिए संस्तुतियां देने का भी अधिकार प्राप्त है।

- आयोग मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनों तथा सुरक्षा विषयों की समीक्षा करेगा तथा उनके प्रभावी अनुपालन के उपायों की संस्तुति करेगा।

- आयोग मानवाधिकारों को बढ़ावा देगा तथा इस क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देगा।

- आयोग सभी मानवीय अधिकारों की रक्षा और विकास के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा पर जागरूकता के लिए किये जा रहे कार्यों को प्रोत्साहन देगा। इसके लिए अभियान चलाकर, गोष्ठियां आयोजित कर, कार्यशालाएं लगाकर तथा पत्रावलियां प्रकाशित कर मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा।

- आयोग मानवाधिकारों को लेकर हुई संधियों, घोषणाओं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रायोगिकी का अध्ययन करेगा और तद्नुरूप उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय सुझाएगा।

मानवाधिकारों की रक्षा एवं उनको बढ़ावा देने में आवश्यक समझे जायेंगे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे कार्य करता है?

एनएचआरसी की शिकायत निस्तारण यांत्रिकी:-

- आयोग प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को दर्ज करेगा तथा प्रत्येक शिकायंत की घटना संख्या (केस नंबर) निर्धारित करेगा।
- आयोग किसी भी शिकायत को प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऐसे न्यायिक पीठ के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें आयोग के सदस्य शामिल हों।
- आयोग किसी शिकायत की जांच-पड़ताल के दौरान संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण से जानकारियां अथवा सूचनाएं मांग सकता है।
- आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण को अपनी संस्तुतियां दे सकता है।
- आयोग जांच रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को सूचनार्थ उपलब्ध करायेगा।
- आयोग अपनी जांच रिपोर्ट को संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण की टिप्पणी के साथ प्रकाशित करेगा, यदि संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई कदम उठाया गया हो या कोई निर्णय लेना प्रस्तावित किया गया हो।

पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

- आयोग संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में अभियोग चलाने के लिए, अथवा ऐसा ही कोई समुचित कदम उठाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यदि ऐसा करना आवश्यक हो।

सशस्त्र बलों के मामले में कार्य पद्धति

सशस्त्र बलों के मामलों में शिकायतों के निस्तारण के दौरानः-

1. आयोग सिर्फ केन्द्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है।
2. रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग या तो शिकायत को और आगे नहीं बढ़ा सकता, या केन्द्र सरकार की रिपोर्टों के आधार पर अपनी संस्तुतियां प्रदान कर सकता है।

अनुच्छेद

10

अनुच्छेद–1

शिकायत दर्ज करने का प्रारूप

ए. शिकायतकर्ता का विवरण

1. नाम ....

2. लिंग ....

3. राज्य ....

4. पूरा पता ....

5. जनपद ....

6. पिन कोड ....

बी. घटना का विवरण

1. घटना का स्थान (गांव/देहात/शहर) ....

2. राज्य ....

3. जनपद ....

4. घटना की तारीख ....

सी. पीड़ित का विवरण

1. पीड़ित का नाम ....

4. पूरा पता ....

5. जनपद ....

6. पिन कोड ....

7. धर्म ....

8. जाति .... (अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)

9. लिंग ....

10. उम्र ....

11. यदि कोई अक्षमता हो ....

डी. साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण/किस मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है..

ई. क्या शिकायत सशस्त्र सेना/ अर्द्धसैनिक बल के किसी सदस्य के खिलाफ है .... हां/नहीं

एफ. क्या इसी तरह की शिकायत अदालत/राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज की गयी है ....

जी. नाम, पद और उस सरकारी कर्मचारी का पता जिसके विरुद्ध शिकायत की जानी है ....

एच. नाम, पद और उस संबंधित अधिकारी का पता जिसके प्रति वह सरकारी कर्मचारी जवाबदेह है ....

आई. प्रार्थना/राहत जो मांगी जा रही है ....

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करने के दिशा-निर्देश

1. आयोग को शिकायत पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जा सकती है।

2. शिकायत अंग्रेजी या हिन्दी अथवा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में की जा सकती है। शिकायत केवल एक प्रति में दाखिल की जा सकती है।

3. शिकायत डाक अथवा फैक्स द्वारा +91-11-23382911, +91-11-23382734 नम्बरों पर भेजी जा सकती है, या इस ई-मेल covdnhrc@nic.in के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।

4. शिकायत निःशुल्क होती है।

5. शिकायत में खुलासाः 1) उल्लेख करें कि किस मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, या 2) उस सरकारी कर्मचारी का विवरण जो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है।

6. आयोग का अधिकार क्षेत्र शिकायत दर्ज होने के एक साल तक है।

7. मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत के साथ यदि कोई साक्ष्य हो तो संलग्न करें।

8. शिकायत में सभी सूचनाएं जैसे उम्र, लिंग, धर्म/जाति, राज्य और जिस जिले से शिकायत संबंधित है और उसकी तारीख

10. आम तौर पर निम्न प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है:-

(1) अपठनीय अर्थात जो पढ़ी न जा सके;

(2) संदिग्ध, गुमनाम या छद्मनाम;

(3) घिसी-पिटी या कटी-फटी;

(4) ऐसे मामले जो राज्य मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग में लंबित हैं;

(5) ऐसी घटना जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और उसे घटे हुए एक साल पूरा हो गया हो;

(6) ऐसे मामले जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी लिप्त न हो;

(7) ऐसे दीवानी मामले जैसे जमीन-जायदाद, संविदा बाध्यता, आदि;

(8) ऐसे मामले जो सेवा से संबंधित हों;

(9) ऐसे मामले जो श्रम या औद्योगिक विवाद से संबंधित हों;

(10) ऐसे मामले जिसमें निश्चित मानवाधिकार का उल्लंघन न हुआ हो;

(11) ऐसा मामला जो कि अदालत या न्यायाधिकरण के सामने विचाराधीन हो;

(12) ऐसा मामला जो अदालती फैसले/ आयोग के निर्णय से सुरक्षित हो।

11. जहां तक संभव हो शिकायत को पुस्तिका में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही दर्ज कराएं। पुस्तिका में दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करने से आपकी शिकायत के निस्तारण में सुविधा होगी।

अनुच्छेद–2

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रारूप

कृपया अपनी शिकायत के विवरण दर्ज करें:

शिकायतकर्ता का विवरण

नाम .... लिंग ....

पता ....

राज्य .... पिन ....

जनपद ....

ई–मेल .... मोबाइल ....

☐ स्वयं

पीड़ित का विवरण

नाम ....

पता ....

राज्य .... लिंग.................... धर्म ....

जनपद .... अक्षमता ....

जाति..

पिन .... उम्र ....

घटना की तारीख .... जनपद ....

घटना की श्रेणी.......................... सह श्रेणी ....

क्या किसी अदालत/राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज है ....

राहत का विवरण

प्रार्थना/मांगी गयी राहत

नाम ....

पद ....

सरकारी कर्मचारी का पता ....

अपडेट क्लोज

अनुच्छेद–3

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के दिशा-निर्देश

शिकायतकर्ता का विवरण

1. नाम ....

(पूरा नाम भरें)

2. लिंग ....

(सूची से लिंग सलेक्ट करें)

3. पता ....

(पत्र व्यवहार का पूरा पता सलेक्ट करें)

4. राज्य ....

(सूची से अपने राज्य का नाम सलेक्ट करें)

5. जनपद ....

(सूची से अपने जनपद का नाम सलेक्ट करें)

6. पिन ....

(यदि उपलब्ध हो तो अपने क्षेत्र का पिन कोड सलेक्ट करें)

पीड़ित का विवरण

7. नाम ....

8. पता ....

10. जनपद ....

(सूची से जनपद सलेक्ट करें, जहां पीड़ित रहता है)

11. लिंग ....

(सूची से लिंग सलेक्ट करें, यदि पीड़ित एक से ज्यादा हो तो 'ग्रुप' का विकल्प सलेक्ट करें)

12. पीड़ितों की संख्या ....

(पीड़ितों की संख्या का उल्लेख करें। सूची से अक्षमता की स्थिति सलेक्ट करें)

13. अक्षमता ....

14. उम्र ....

(पीड़ित कितने वर्ष का है, दर्ज करें)

15. धर्म ....

(सूची से धर्म सलेक्ट करें)

16. जाति ....

(सूची से जाति सलेक्ट करें)

घटना का विवरण

17. स्थान ....

(घटना का सही स्थान दर्ज करें –जैसे स्थान, गांव, देहात, शहर)

18. राज्य ....

(सूची से राज्य सलेक्ट करें, जहां घटना घटी है)

19. जनपद ....

(सूची से जनपद सलेक्ट करें, जहां घटना घटी है)

21. घटना की श्रेणी ....

(सूची से घटना की श्रेणी और जिससे घटना का संबंध है, सलेक्ट करें)

22. घटना की सह–श्रेणी ....

(सूची से घटना की सह–श्रेणी जो उसकी प्रकृति को दर्शाता हो, सलेक्ट करें)

23. शिकायत लिखें ....

(तथ्यों का सँक्षिप्त विवरण/घटना के आरोप/शिकायत)

24. क्या शिकायत किसी अदालत/राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज है

(सलेक्ट करें कि शिकायत किसी अदालत/ राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष दर्ज है)

राहत के विवरण

25. नाम, पद और सरकारी कर्मचारी का पता ....

(सरकारी कर्मचारी/ प्राधिकारी के पूरे विवरण लिखें जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है)

26. मांगी गयी राहत ....

(मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए मांगी गयी राहत का पूरा विवरण दें)

अनुच्छेद-4

दर्ज की गयी शिकायत की ऑनलाइन स्थिति

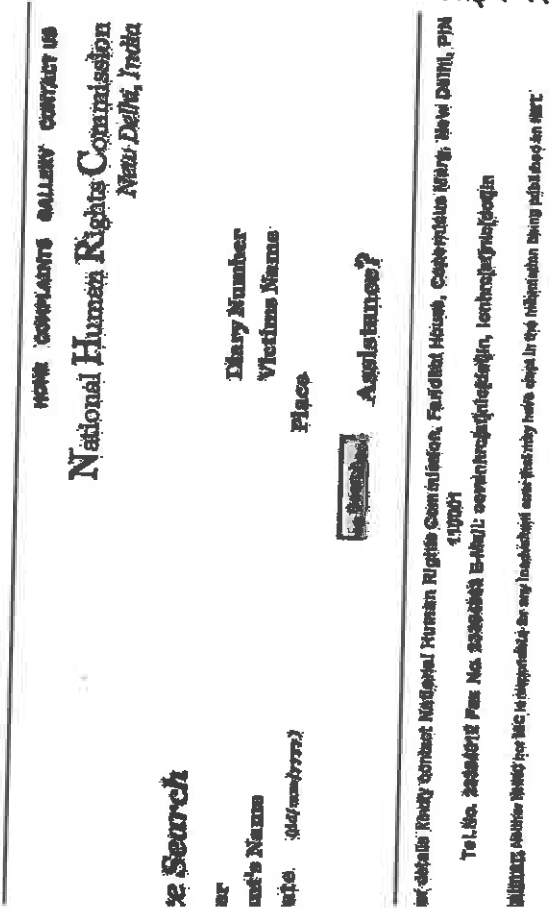

एचआरएलएन के कार्यालय

चंडीगढ़
2439, सैक्टर 37-सी,
चंडीगढ़ (पंजाब)
फोन: 0172-4603177

शिमला
विमल सदन
कोऑपरेटिव बैंक के पास
शिमला-171002
फोन: +91-0177-2624629

धर्मशाला
नितिका शर्मा
द्वारा अश्विनी अग्रवाल
म. नं. 227, जीएचएस के पास,
केबी चंदर मार्ग
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
फोन: +91-01892-223417

उत्तर प्रदेश
प्लॉट नंबर 183, एम-2-ए
एडीए कॉलोनी, नैनी,
इलाहाबाद-211008
फोन: +91 7800560243

अल्मोड़ा
ईश्वरी भवन, रानीधारा रोड
वेस्ट पोखरखाली, अल्मोड़ा

कश्मीर
बीडी हाउस, खर्सू, राजबाग
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर

पुलवामा
कोर्ट रोड पुलवामा
फोन: 09858479300

राजस्थान
सेंटर फॉर दलित राइट्स
112, सूर्या नगर, गोपालपुरा बाईपास
जयपुर, राजस्थान
फोन: +91-141-2504837

चेन्नई
मकान नं. 319/155, द्वितीय तल
लिंघी चेट्टी स्ट्रीट, जार्ज टाउन,
पेरी'स, चेन्नई-600001
फोन: 044-42061867

बैंगलौर
नं. 20, पार्क रोड, तस्कर टाउन
शिवाजी नगर, बैंगलौर-560051
फोन: 080-65624757/22861152

कोची
58/340, मानवालन अपार्टमेंट्स
अमल्य स्ट्रीट, कोची-18

एचआरएलएन के कार्यालय

तिरुअनंतपुरम्
टीसी-25/2952,
ओल्ड जीपीओ बिल्डिंग
अंबुजावेलसम रोड, तिरुअनंतपुरम्
केरल-695001
फोन: 0471-2460652

आंध्र प्रदेश
मकान नं. 21-7-761
हाई कोर्ट पोस्ट ऑफिस के सामने
घांसी बाजार, हैदराबाद-500002
फोन: +91-040-24573094

कोलकाता
3, पार्बती चक्रवर्ती लेन
फ्लैट-1ए, सोहिनी अपार्टमेंट
कोलकाता-700026
फोन: +91-33-24546828

मणिपुर
एक्सिस बैंक बिल्डिंग, तृतीय तल
पावोना बाजार,
इम्फाल-795001
फोन: 0385-2442165

उड़ीसा
प्लॉट नं. 1209-सी, द्वितीय तल
सीडीए, सैक्टर-6, कटक-14
फोन: 0671-2506180

अरुणाचल प्रदेश
क्वार्टर नं. 7, टाइप पांच
राज निवास एरिया, ईटानगर
फोन: 09436040383

गंगतोक
द्वितीय तल, महेश सैलून के ऊपर
सत्ये बाजार, अपर सिचे एरिया
गंगतोक-737101 (सिक्किम)
फोन: 03592-284351

नागालैंड
मकान नंबर 107
केनजू कॉलोनी, कोहिमा-797001
फोन: 08974933483

गुवाहाटी
मकान नं. 13, लैंब रोड
जोरपुखरी, उजान बार,
गुवाहाटी-781001
फोन: 03592-284351

रांची
द्लौपची अपार्टमेंट्स
बानो मंजिल रोड, गलीखाना
रांची-834001

एचआरएलएन के कार्यालय

मुंबई
इंजीनियर हाउस, चौथी मंजिल 86
बौम्बे समाचार मार्ग, फार्ट मुंबई-23
फोन: 22676680

गुजरात
ए/7, रामेश्वरम टेनमेंट्स
रामदेवनगर, साई बाबा मंदिर के पास
सेटेलाइट रोड, पोस्ट अम्बावाड़ी
विस्तार
अहमदाबाद-380015
फोन: 09825033457

भोपाल/जबलपुर
फ्लैट नंबर 101, वर्तिका अपार्टमेंट्स
आशीष हॉस्पीटल के पास
होम साइंस कॉलेज रोड
नाथेर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

छत्तीसगढ़
मंगल भवन
मकान नं. 9/1125, प्रथम तल
व्यापार विहार रोड
(आस्था पेट्रोल पंप के पास)
बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
फोन: 09977897237

मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए) पारित किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गयी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका गठन मानवाधिकार हनन के मामलों को देखने के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकारों के संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में किया गया है और इस तरह आयोग को मानवाधिकारों के हनन संबंधी घटनाओं अथवा मामलों की वास्तविकता जानने का अधिकार प्राप्त है। आयोग को मानवाधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और तद्नुरूप सुधार के उपायों की संस्तुति का अधिकार प्राप्त है।

HRLN

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क

(सोसियो लीगल इन्फॉर्मेशन सेंटर का प्रभाग)

576, मस्जिद रोड, नई दिल्ली - 110014

फोन: +91-11-24379855/56

ई-मेल: hrc@hrln.org वेबसाइट: www.hrln.org